न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर
207 / 2020

तारीख दायर
07-10-2020

तारीख फैसला
15/05/22

दरम्यान

1. शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/B मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता योगेश शर्मा पुत्र श्री हरिशंकर शर्मा

------:: वादी

बनाम

1. सुखविन्दर कौर पत्नी हरिसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम खुण्डपुरी तहसील तिजारा जिला अलवर
2. मंगलसिंह पुत्र हरपालसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
3. करतार सिंह पुत्र हरपालसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
4. पूर्ण सिंह पुत्र हरपालसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
5. जरनैल सिंह पुत्र हुकमसिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
6. वीरोबाई
7. गुरोबाई
8. शीला कौर पुत्रीयान सम्पूर्ण सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर
9. अन्जु पत्नी धर्मवीर जाति महाजन निवासी ग्राम टपूकड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर
10. किशनलाल पुत्र सोहनलाल जाति स्वामी निवासी ग्राम टपूकड़ा
11. रहीसन पत्नी उस्मान जाति मेव निवासी ग्राम नाखनौल तहसील तिजारा जिला अलवर
12. श्रीमान् तहसीलदार साहब, बहैसियत लैण्ड होल्डर, तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

------:: प्रतिवादीगण

दावा तकासमा वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: निर्णय ::–

प्रकरण के सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह दावा तकासमा मय हुक्मईम्तनाई दवामी अन्तर्गत 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व दावा प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 659 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। शर्मा को विवादित आराजी के संबंध में पूर्ण जानकारी है व वादी कम्पनी की ओर से समस्त विधिक ाही करने के लिए अधिकृत है। विवादित आराजी वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 की संयुक्त काश्त शामलात खातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित आराजी में वादी कम्पनी का 13/57 भाग व दी संख्या 1 लगायत 10 का मुताबिक जमाबन्दी हिस्सा है, जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में हो रहा जस पर वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 मुताबिक अपने अपने भाग पर काबिज व दाखिल चले हे है। रिकार्ड में शामलात राजस्व रिकार्ड दर्ज है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 अपने अपने के अनुरूप मौके पर उक्त आराजी पर काबिज एवं दाखिल है। किन्तु आज तक लिखित रूप में पक्षकारान ध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है और राजस्व रिकार्ड में शामलात में ही काबिज व दाखिल चले आ रहे है। हर पर हर हिस्सेदार का हिस्सा है। वादी कम्पनी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 के मध्य बाई मिट्स एण्ड ड्सआज तक कोई तकासमा नहीं हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन तलब किया जाकर जवाब दावा प्रस्तुत करने का वसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 अनुपस्थित इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में ई गई। प्रतिवादी संख्या 11 फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अतः जवाब सरकार बन्द किया या। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वादी वकील ने वाद प्रारम्भिक डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में दिनांक 09–12–2021 को प्रारम्भिक डिकी जारी कर तहसीलदार टपूकडा को मौका कमिश्नर युक्त किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा स्कीम तैयार कर रिपोर्ट कुर्रे तलब की गई।

चूंकि तहसीलदार टपूकडा ने अपने पत्र कमांकः भू.अ./2022/5041 दिनांक 04–04–2022 के द्वारा प्रकरण कुर्रे रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी। प्रार्थी अधिवक्ता ने मुताबिक कुर्रे रिपोर्ट फाईनल डिकी किये जाने हेतु निवेदन या। कुर्रे रिपोर्ट का अवलोकन किया। दावा फाईनल डिकी किया जाना उचित है।

अतः दावा वादीगण फाईनल डिकी किया जाता है निम्नानुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 659 रकबा 0.57 वाके ग्राम मिठियावास तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) को फरीकैन के अनुसार खाता विभाजन के देश दिये जाते है।

.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
01.	शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, खातेदार अ.वि.व. व 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार 13/57 जर्ये डायरेक्टर विपुल गोयल पुत्र रोहताश महाजन सा. 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली, शम्भुनाथ प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड, 144/2 मथुरा रोड आश्रम नई दिल्ली खातेदार जर्ये डायरेक्टर दीपक गुप्ता पुत्र राधेश्याम गुप्ता जाति महाजन सा. 144/2 मथूरा रोड आश्रम नई दिल्ली 15/57	659	0.28	बारानी 2	1.1052
2.	गुरोबाई शीलाकौर पुत्रियान हरपाल सिंह हि0 1667/14500 मंजू पत्नी धर्मवीर हि0 667/29000 जाति महाजन सा. टपूकडा खातेदार किशनलाल पुत्र सोहनलाल जाति स्वामी हि0 3/29 सा. टपूकडा खातेदार रहीसन पत्नी उस्मान हि0 2/29 मेव सा. नाखनौल खातेदार जरनेल सिंह पुत्र हुकमसिंह हि0 3/29 रायसिख सा. झुण्डपुरी खातेदार करतारसिंह हि0 8/29 रायसिख सा. देह खातेदार प्रकाशकौर पत्नी सम्पूर्ण सिंह हि0 1388/29000 रायसिख सा. देह खातेदार सुखविन्दर पत्नी हीरासिंह 611/29000 रायसिख सा. देह खातेदार पूर्ण हि0 मंगलसिंह पि0 हरपाल सिंह हि0 4/29 पीरोबाई पुत्री हरपाल सिंह रायसिख सा. देह खातेदार हि0 3/29	659/1	0.29	बारानी 2	1.15

तकसीम शुद्वा नक्शा फाईनल डिकी का जुज होगा। राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल किया जावें। डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी